SAMADHAN SAMAROH

(Supreme Court Action for Mediated Adjudication and Disputes Harmonization Across Nation)



Hon'ble Supreme Court of India has started a novel initiative for amicable resolution of disputes

Special Lok Adalat at Hon'ble Supreme Court of India on 21st, 22nd & 23rd AUGUST, 2026

If you wish to settle your case(s) pending before the Hon'ble Supreme Court, you may contact nearest District Legal Services Authority for getting your case(s) listed in this Special Samadhan Samaroh. Trained Mediators shall hold Pre-Lok Adalat sittings to facilitate the parties in reaching amicable settlement.

The following categories of cases can be taken up in the special Samadhan Samaroh scheduled to be held in the Hon'ble Supreme Court of India on 21st, 22nd & 23rd August, 2026:-

- Labour Matters
- Cheque Bounce Matters (Section 138 NI Act)
- Accident Claim Cases (Motor Accident Claims)
- Matrimonial/Family Law/Maintenance related cases
- Services related matters
- Rent Matters
- Land Acquisition Matters
- Matter related to recovery of money
- Criminal Compoundable Matters
- Revenue Matters
- Other Compensation Matters
- Other Civil Matters

Advocates and parties can access the list of referred cases originating within the jurisdiction of Haryana on the website of Haryana State Legal Services Authority. In case your case is not among the already referred cases, you may have your case referred by submitting the details through the following google form:-

https://forms.gle/woYFFEph7pgiTQ7u7

This Google Form is also available at http://www.sci.gov.in

Benefits of Samadhan Samaroh

- ☑ **Fast & Effective Disposal**
- ☑ **Simple Procedure**
- ☑ **Mutual Agreement**
- ☑ **Final and Binding Decision**

For any query you may contact any of the following:-

SUPREME COURT OF INDIA
One Stop Centre, Contact No.: 011-23112428, 011-23112528, 011-23116464, 011-23116465, 011-23115652
E-mail: speciallokadalat2026@sci.nic.in

NALSA
Contact No.: 011-23382778, 011-23382121,
Toll Free No. 15100
E-mail: nalsa-dla@nic.in

HALSA
Plot No.9, Sector - 14, Panchkula,
Tel. : 0172-2562309, Toll Free No.15100,
Website : www.hslsa.gov.in,
E-mail : hslsa@hry.nic.in,
hslsa.haryana@gmail.com

HCLSC
Punjab & Haryana High Court, Chandigarh
(www.highcourt.chd.gov.in)
secretary-hclsc@phhc.gov.in
0172-2718223
7404257682

For more information, Advocates & Parties may also contact their nearest District Legal Services Authorities.

Issued in public interest by Haryana State Legal Services Authority, Panchkula.

समाधान समारोह

(देश भर में विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान और मध्यस्थता के माध्यम से निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय की पहल)



माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विषेश लोक अदालत का आयोजन दिनांक 21, 22 और 23 अगस्त, 2026

यदि आप माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित अपने मामलों का निपटारा करना चाहते हैं, तो आप अपने मामले को इस विशेष समाधान समारोह में सूचीबद्ध कराने के लिए निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षित मध्यस्थ, पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समझौता कराने में सहायता हेतु पूर्व–लोक अदालत बैठकें आयोजित करेंगे।

माननीय उच्चतम न्यायालय में आयोजित होने वाले विशेष समाधान समारोह में विचार किए जाने वाले निम्नलिखित मामले हो सकते है :–

- चैक से सम्बन्धित मामले (एन0 आई0 एक्ट)
- धन वसूली मामले
- अपराधिक मामले जिनमे कानूनी तौर पर समझौता किया जा सकता है
- एक्सीडेन्ट कलेम केस (एम.ए. सी.टी.)
- श्रम एवं रोजगार सम्बन्धी विवाद
- पारिवारिक विवाद मामले
- किराया संबंधी मामले
- स्थानान्तरण याचिकाएं (सिविल एवं आपराधिक)
- भरण–पोषण संबंधित मामले
- भूमि अधिग्रहण और भूमि विवाद मामले
- सेवाएं सम्बन्धी मामले
- राजस्व मामले
- अन्य मामले

वकील और पक्षकार हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न संदर्भित मामलों की सूची देख सकते हैं। यदि आपका मामला पहले से संदर्भित मामलों में शामिल नहीं है, तो आप निम्नलिखित गूगल फॉर्म के माध्यम से विवरण जमा करके अपने मामले को संदर्भित करवा सकते हैं :

https://forms.gle/woYFFEph7pgiTQ7u7

यह गूगल फॉर्म यहां भी उपलब्ध है: https://www.sci.gov.in

समाधान समारोह के लाभ

- ☑ त्वरित और प्रभावी निपटान
- ☑ सरल प्रक्रिया
- ☑ आपसी समझौता
- ☑ अंतिम और बाध्यकारी निर्णय

किसी भी पूछताछ एवं समस्या के लिए आप निम्नलिखित में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं :–

भारत का उच्चतम न्यायालय
वन स्टॉप सेंटर,
दूरभाष नंबर: 011–23112428, 011–23112528
011–23116464, 011–23116465
011–23115652
ई–मेल : speciallokadalat2026@sci.nic.in

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
दूरभाष नंबर : 011–23382778, 01123382121
टोल फ्री नंबर : 15100
ई–मेल : nalsa-dla@nic.in

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
इन्स्टटूशनल प्लाट नम्बर 9, सैक्टर 14, पंचकुला,
दूरभाष नम्बर 0172–2562309,
टोल फ्री नम्बर 15100
ई–मेल hslsa.haryana@gmail.com
वैब साईट www.hslsa.gov.in

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़
दूरभाष नम्बर: 0172-2718223,
7404257682
ई–मेल Secretary-hclsc@phhc.gov.in
वैब साईट (www.highcourt.chd.gov.in)

अधिक जानकारी के लिए अधिवक्ता एवं पक्षकार अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।